निर्णय ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 131/2021 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. राजवन्ती देवी पत्नी श्री छोटी लाल
2. प्रभाती देवी पत्नी श्री कन्हैयालाल

   जाति मीणा, निवासी ग्राम आकेडा डूंगर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. श्रीमती उर्मिला पत्नी श्री मंगल चन्द

   जाति मीणा, निवासी एम 171, केन्द्रीय विहार, विद्याधर नगर, सैक्टर–6, जयपुर ।

प्रार्थीगण

बनाम

1 श्री विश्वामित्र मीणा आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर।

2 मदन लाल पुत्र रामनाथ जाति ब्राह्मण निवासी 128 छोटा अखाड़ा, ब्रह्मपुरी, जयपुर ।

3 झुमकी देवी पत्नी रणवीर जाति जाट निवासी बोबाडी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

4 अनिता देवी पत्नी शिवकुमार जाति जाट निवासी बोबाडी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

5 संतोष देवी पत्नी शैतान

6 श्रवणी देवी पत्नी प्रहलाद

7 सजना देवी पत्नी हरिनारायण

समस्त जाति जाट, निवासी नयाबास, तहसील चौमू, जिला जयपुर ।

8 धापा देवी पत्नी प्रभू दयाल जाति जाट निवासी नयाबास, तहसील चौमू, जिला जयपुर ।

9 रतन प्रभा गोयल पत्नी विजय कुमार जाति महाजन निवासी 11, गोपाल नगर ए, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर ।

10 ग्यारसा पुत्र बालू जाति जाट निवासी बोबाडी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

11 भैरू पुत्र ग्यारसा जाति जाट निवासी बोबाडी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

12 हजारी पुत्र भरता जाति जाट निवासी निवासी बोबाडी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

13 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 14/2021 ब उनवानी झुमकी देवी बनाम अनिता व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थितः–

1. श्री मुकेश कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।
2. श्री नेमीचन्द जलवानिया अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 9 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 14.03.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष प्रकरण संख्या 14/2021 ब उनवानी झुमकी देवी बनाम अनिता व अन्य

जिला कलक्टर
जयपुर

दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 9 की ओर से वकील श्री नेमीचन्द जलवानिया उपस्थित है।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।

4. प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादिया के वाद को स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी कर दी, तो संलग्न नक्शा अनुसार कुर्रेजात तहसीलदार से मंगवाया जाना चाहिये था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने भिन्न कुर्रेजात रिपोर्ट बिना वादिया को सूचना दिये बनायी गयी जिस पर वादिया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे कुर्रेजात के विरूद्ध आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 12.07.2021 व प्रार्थना पत्र 151 दिनांक 23.07.2021 को पेश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में उक्त पत्रावली में दिनांक 23.07.2021 को प्रार्थना पत्र आपत्ति पर बहस सुनी गई जिसके आदेश के लिए दिनांक 30.07.2021 पेशी दी गई लेकिन पीठासीन अधिकारी को समय नहीं मिलने के कारण उक्त पत्रावली वास्ते आदेश के लिए दिनांक 6.08.2021 दी गई। प्रकरण के विचाराधीन रहते हुए वादिया 1 दिनांक 30.07.2021 को न्यायालय हाजा में गई तो उसने देखा कि अप्रार्थी संख्या 3 के पति व अप्रार्थी संख्या 4 के पति को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर से हंसते हुए निकलते देखा जिसके बाद प्रार्थिया अपने पति के साथ न्यायालय हाजा के सामने रोड पर चाय की दुकान पर जाकर बैठी तो अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के पति भी चाय की दुकान पर आकर प्रार्थिया के पति को देखते हुए अप्रार्थी संख्या 3 के पति कहने लगा कि कोई कितना भी कुछ कर ले, मैने जिसकी भूमि पर कब्जा कर रखा है, वो ही भूमि मिलेगी। दो तीन दिन में मेरे पक्ष में न्यायालय आदेश करेगा। जिसको सुन कर प्रार्थिया को आश्चर्य हुआ। जिसके बाद प्रार्थिया व उसका पति पीठासीन अधिकारी से आदेश के बारे में पूछा तो कहा मुझे समय नहीं मिला मैं दिनांक 6.08.2021 को निर्णय कर अन्तिम डिक्री कर दूंगा। जिस पर प्रार्थिया ने कहा कि पत्रावली तो कुर्रेजात की बहस पर आदेश देने के लिए है। पहले तो आपको कुर्रेजात की आपित्त पर आदेश देना है। जिस पर पीठासीन अधिकारी ने गुस्से में होकर कहा कि मैं अधिकारी हूँ या तुम, मैं जो उचित लगेगा जो करूंगा। मैने तुमसे कह दिया मै अन्तिम डिक्री पारित करूंगा। जिसे सुन कर प्रार्थिया को पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के पति द्वारा जो कहा गया व सही है तथा प्रार्थिया को पूर्णरूप से विश्वास हो गया कि अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण से मिल कर प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णय करने पर उतारू है। पूर्व वाद में पक्षकार व वादग्रस्त भूमि व विवाधक समान होने के उपरान्त अप्रार्थी संख्या 3 ने विधि विरूद्ध नया दावा पेश कर दिया। जिस वाद व प्रार्थना पत्र पर मात्र अप्रार्थी संख्या 3 को ही सुनते हुए इक तरफा स्थगन जारी कर दिया एवं उक्त पत्रावली को कैम्प कोर्ट बोबाडी में दिनांक 21.10.2021 को बिना नोटिस दिये रख दिया। दिनांक 29.09.2021 को प्रार्थिया उक्त प्रकरण में जाकर पीठासीन अधिकारी से निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में हमें नोटिस नहीं दिया इस कारण उक्त प्रकरण में अभी तारीख पेशी नहीं दी जावे, 2 बजे तक मेरे वकील साहब आ कर उक्त प्रकरण मे वकालतनामा पेश करेंगे। लेकिन प्रार्थी की

जिला कलक्टर
जयपुर

बिना सुने ही दिनांक 21.10.2021 कैम्प कोर्ट की तारीख पेशी में रख दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश पारित न कर अन्तिम निर्णय करने पर आमादा है जिससे प्रार्थिया चिन्तित है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश पारित नहीं करने के कारण अधीनस्थ न्यायालय पर शंका कारित हो गई है, कि अप्रार्थीगण को लाभ प्रदान करने के लिए प्रार्थिया को नहीं सुना जा रहा है। कानूनन किसी प्रकरण के विचाराधीन रहते हुए यदि कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है, तो उस प्रार्थना पत्र का निस्तारण सर्व प्रथम किया जाता है न कि अन्य कार्यवाही। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश पारित न कर अन्तिम डिकी करने पर आमादा है जिससे भी प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय पर शंका उत्पन्न हो गई है कि प्रार्थीगण को बिना सुने अधीनस्थ न्यायालय अन्तिम निर्णय पारित करने को उतारू है, जिससे प्रार्थीगण के अधिकारो का हनन होता हुआ नजर आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली को सम्पूर्ण कर निर्णय पारित करते हुये नजर आ रहे है। प्रार्थी की सुनवाई नही हो रही है व प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र आपत्ति पर सर्व प्रथम निर्णय पारित कर अन्तिम डिकी की बहस सुननी चाहिए थी, लेकिन अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थिया से साफ कह दिया की अन्तिम डिकी पारित करूंगा। आपकी जो मर्जी आये सो करों। जिससे भी प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय की उम्मीद करना नही के बराबर महसूस हो रही है। विधि का सर्व मान्य सिद्धान्त है कि किसी पक्षकार के हित प्रभावित होते है तो कोई निर्णय पारित नही किया जाना चाहिये । उक्त प्रकरण मे प्रार्थी मुतवादिया आराजीयात का जरिय पंजीकृत विकय पत्र खरीदार पक्षकार है जिसके विकय पत्र मे सीमाएँ दर्शित कर रखी है। जिस पर प्रार्थिया का कब्जा है, जिसे बिना देखे प्रार्थिया के हिस्से की भूमि को अन्य पक्षकार को देने पर तुले हुए है। उक्त प्रकरण दिनांक 06.08.2021 को पीठासीन अधिकारी द्वारा बताये अनुसार नियत था। इसलिए प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। अतः उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने प्रार्थीगण के आरोपों का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत कि तहसीलदार से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर प्रार्थिया द्वारा कुर्रेजात आपत्ति का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसकी प्रति प्रतिवादीगण के वकील को दी गई। दिनांक 23.07.2021 को कुर्रेजात एवं कुर्रेजात आपत्ति प्रार्थना पत्रों पर उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर वास्ते आदेश दिनांक 30.07.2021 नियत थी, किन्तु पीठासीन अधिकारी के अन्य राजकार्यो में व्यस्त रहने से समय अभाव के कारण वास्ते आदेश 06.08.2021 नियत थी, किन्तु उससे पूर्व ही प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीगण जानबूझ कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करना चाहता है। इसी मंशा से झूठे एवं मनघड़न्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। आरोपों की पुष्टि में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया जिससे उसके कथनों की पुष्टि होती हो। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश फरमावें ।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला कलेक्टर
जयपुर

7. प्रार्थीगण का आरोप है कि उनके द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात आपत्ति प्रार्थना पत्र पर नहीं सुना गया। इस पर विपक्षी अधिवक्ता का कहना है कि तहसीलदार से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी के समक्ष कुर्रेजात आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जिसकी नकल विपक्षी अधिवक्ता को दी जाकर पीठासीन अधिकारी द्वारा उभय पक्ष की बहस सुन कर पत्रावली वास्ते आदेश कुर्रेजात व कुर्रेजात आपत्ति प्रार्थना पत्र नियत थी। अप्रार्थी अधिवक्ता के कथन की पुष्टि पीठासीन अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट से भी होती है। पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आरापों का खण्डन किया है। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। प्रार्थीगण ने केवल मात्र कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18, एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं माना है। सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर व मनन करने पर यह परिलक्षित होता है कि उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 14.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

14/03/22

(राजन विशाल)
जिला कलक्टर
जयपुर